न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
06 / 2021	28.01.2021	**21.11..2022**

//उनवान//

1 देशराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

:— **प्रार्थी**

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र— अन्तर्गत धारा 136
एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः— श्री महेश यादव — वकील प्रार्थी

निर्णय **दिनांक— 21.11.2022**

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल आराजी ख0नं0 171/0.79, 172/0.69, 173/0.60, 175/0.06, 176/0.61, 441/0.53, 442/0.55, 443/0.53, 444/0.69, 445/1.09, 446/0.30, 447/0.25, 448/0.86, 449/0.52, 450/0.05, 470/0.05, 471/0.04, 528/0.37, 529/0.29, 530/0.30, 531/0.35 है0 में स्थित होकर प्रार्थी के पिता की खानदानी आराजी रही है जो विरासत से प्राप्त आराजी है। जिसमें प्रार्थी का नाम उक्त खसरा नम्बरान में सहवन से देशराम के स्थान पर देशराज अंकित हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम देशराम है तथा पहचान के समस्त दस्तावेजात/रिकॉर्ड देशराम के नाम से है। उक्त खसरा नम्बरान प्रार्थी के गलत नाम के अंकन की वजह से प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है जिससे ना तो के.सी.सी बनवा पा रहा है और ना ही [illegible] योजनाओं का लाभ ले पा रहा है। देशराम व देशराज एक ही व्यक्ति के [illegible] इस[illegible] का गांव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम देश[illegible] निवेदन करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी[illegible] के स्थान पर देशराम दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक जवाब पैरोकार जिम्मनवार प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में विवादित आराजीयात के बाबत नकल जमाबंदी सम्वत् 2069—2072

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

की पेश की एवं अन्य खसरा नम्बर 224 व 641, 661 आदि खसरा नम्बरान किता-8 के बाबत की किता 2 नकल जमाबंदीयात सम्वत् 2069-2072 की पेश की जिनमें प्रार्थी का सही नाम देशराम पुत्र रामजीलाल अंकित है के साथ साथ ग्राम पंचायत बेहरोज द्वारा दिनांक 23.02.2021 में जारी देशराम पुत्र रामजीलाल के नाम का प्रमाणपत्र व परिवार राशन कार्ड तथा स्वयं के पुत्र पुत्रीयान नरेन्द्र कुमार, मनीषा, नरेश कुमार, ममता कुमारी के शैक्षणिक प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां एवं स्वयं की बैंक पासबुक की छायाप्रति भी पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के जिमनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात प्रार्थी को अन्य आराजीयात के साथ-साथ विरासत से प्राप्त होकर खानदानी आराजी है तथा उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी का नाम देशराम के स्थान पर देशराज अंकित हो गया है जबकि अन्य आराजीयात खाता संख्या 55 व 392 भी वाके ग्राम बेहरोज होकर सही नाम देशराम पुत्र रामजीलाल के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी ताईद में प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत की नकल जमाबंदी के साथ–साथ सही नाम के बाबत की भी नकल जमाबंदी पेश की है जो शामिल पत्रावली है तथा ग्राम पंचायत बेहरोज द्वारा दिनांक 23.02.2021 में जारी देशराम पुत्र रामजीलाल के नाम का प्रमाणपत्र व परिवार राशन कार्ड तथा स्वयं के पुत्र पुत्रीयान नरेन्द्र कुमार, मनीषा, नरेश कुमार, ममता कुमारी के शैक्षणिक प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां एवं स्वयं की बैंक पासबुक की छायाप्रति भी पेश की है इस प्रकार से प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम देशराज को हजफ किया जाकर देशराम नाम अंकित कराये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थ[illegible] को [illegible]ार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के आराजी ख0नं0 [illegible], [illegible], 175/0.06, 176/0.61, 441/0.53, 442/0.55, [illegible] 1.09, 446/0.30, 447/0.25, 448/0.86, 449/0.52, 450/0.05, 470/0.05, [illegible]/0.04, 528/0.37, 529/0.29, 530/0.30, 531/0.35 है0 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है एवं उक्त आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो रहे देशराज पुत्र रामजीलाल नाम के अंकन को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर देशराम पुत्र रामजीलाल नाम का अंकन किये जाने के आदेश

दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **21.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

21-11-2022

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) रा...

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:41 IST
Reason: SelfAttested